संख्या: 2026/68-5-2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

3- निदेशक,
बेसिक शिक्षा
उ0प्र0,लखनऊ।

4- निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
उ0प्र0, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक: 22 जनवरी, 2020

विषयः दिव्यांग बच्चों (सी0डब्ल्यू0एस0एन0) के पूर्ण शैक्षिक समावेशन हेतु विशिष्ट गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु रणनीति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 6-14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक आस-पास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त सस्टेनेबल डेवलपमेण्ट गोल(एस0डी0जी0) संख्या-4 में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु सभी स्तरों पर समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी निर्धारित है। इस हेतु ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण और स्तरोन्नयन किया जाना है जो दिव्यांगता के प्रति संवेदनशील हों, समावेशी परिवेश उपलब्ध कराती हो, दिव्यांग बच्चों को राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित कर सकती हो, समाज के दृष्टिकोण, सोच एवं व्यवहार को संवेदनशील बना सकें एवं दिव्यांगों के प्रति आदर, समानता, सामन्जस्य एवं संवेदना के भाव संस्कार के रूप में विकसित कर सकें। दिव्यांग बच्चों में जहां एक ओर इससे आत्मविश्वास बढेगा वहीं दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व का विकास भी होगा, और वे मुख्यधारा से स्वयं को जोडने में पूर्णतः समर्थ एवं सक्षम हो सकेंगे।

शिक्षकों को भी विभिन्न योग्यता वाले छात्रों को साथ-साथ पढाने का सुअवसर प्राप्त होगा तथा वे दिव्यांग छात्रों को पढाने की ऐसी पद्धति को विकसित कर सकेंगें, जो उनके अध्यापन कार्य को रूचिकर एवं गुणवत्तापरक बनाने में मददगार हो सकेंगे।

यह भी उल्लेखनीय है कि राइट्स आफ परसन्स विद डिसएबिलिटीज (आर0पी0डब्ल्यू0डी0) एक्ट 2016 के अन्तर्गत समावेशी शिक्षा को निम्नवत् परिभाषित किया गया है-

"Inclusive Education means a system of education wherein students with and without disability learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities".

उपरोक्तानुसार आर0पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट 2016 के अनुच्छेद-16 एवं अनुच्छेद-17 में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के कर्तव्य एवं समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट उपायों का प्रावधान किया गया है। शासन के पत्र संख्या-1222/68-5-2018 दिनांक 27 जुलाई 2018 द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु मॉडल गाइड लाइन् एवं कार्ययोजना जारी की गयी है। आर0पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट, 2016 तथा समग्र शिक्षा के ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फार इम्प्लीमेण्टेशन, 2018 को दृष्टिगत रखकर दिव्यांग बच्चों (सी0डब्ल्यू0एस0एन0) को अधिकार आधारित गुणवत्तापरक समावेशी शिक्षा उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है। अतः उपर्युक्त मॉडल गाइड लाइन् एवं कार्ययोजना तथा दिव्यांग/ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा में नवीन विधाओं को सम्मिलित करते हुये उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में समावेशन के लिये निम्नवत रणनीति निर्धारित की जाती है-

1- **अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों की प्रभावी आरंभिक जांच /चिन्हीकरण:**

(1.1) परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बच्चों की हेल्थ कंडीशन की स्क्रीनिंग, चिन्हीकरण, रिफरल व उपचार के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम(आर0बी0एस0के0) की ब्लाक स्तरीय टीम का माइक्रोप्लान तैयार किया जायेगा। माइक्रोप्लान तैयार करने में स्पेशल एजुकेटर/ फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा सपोर्ट प्रदान किया जायेगा।

(1.2) आर0बी0एस0के0 की ब्लाक स्तरीय टीम के द्वारा माइक्रोप्लान के आधार पर अध्ययनरत समस्त बच्चों की हेल्थ कंडीशन की स्क्रीनिंग, चिन्हीकरण, रिफरल व उपचार किया जायेगा।

Sh. R. N. Singh
कृ0 तत्काल वार्ता करें।
SPD
23/01/2020

Scanned by CamScanner

(1.3) अध्यापक द्वारा परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बच्चों की प्रथम चक्र में दक्षता, क्रियाशीलता व कार्य कुशलता आदि से संबंधित बैरियर्स के बारे में जाँच चेकलिस्ट(**संलग्नक-1**) के आधार पर माह फरवरी 2020 तक की जायेगी।

(1.4) अध्यापक द्वारा भरी गई उक्त जाँच चेकलिस्ट के आधार पर यदि किसी बच्चे की दक्षता, क्रियाशीलता व कार्य कुशलता आदि में कोई बैरियर या बाधा निकलकर आती है तो ऐसे बच्चे का द्वितीय चक्र में उसकी संभावित दिव्यांगता के आइडेंटिफिकेशन का कार्य स्पेशल एजुकेटर/ फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट (**संलग्नक-2**)के आधार पर माह मार्च 2020 तक किया जायेगा।

(1.5) जाँच चेकलिस्ट(**संलग्नक-1**)तथा आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट(**संलग्नक-2**) की डाटा इंट्री **'समर्थ'** एप में की जायेगी।

(1.6) जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) द्वारा स्पेशल एजुकेटर्स एवं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बैठक कर **'समर्थ'** एप के डाटाबेस का विश्लेषण कर दिव्यांग बच्चों का मेनस्ट्रीमिंग प्लान तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर बच्चों को समावेशी शिक्षा, होम बेस्ड एजुकेशन व थेरेपी सेवाऐं प्रदान की जायेंगी।

(1.7) **आर0बी0एस0के0** एप के आपरेशन, जाँच चेकलिस्ट-1तथा आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट-2 के सम्बन्ध में प्रत्येक ब्लाक से एक स्पेशल एजुकेटर/ फिजियोथेरेपिस्ट को एक दिवसीय प्रशिक्षण माह फरबरी 2020 तक प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षित स्पेशल एजुकेटर/ फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा अन्य बैठकों एवं विद्यालय भ्रमण के समय अध्यापकों तथा एस0 आर0जी0 सदस्यों को जाँच चेकलिस्ट-1 के सम्बन्ध में उन्मुखीकृत करेंगे।

(1.8) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा **आर0बी0एस0के0** एप की नियमित रूप से ट्रैकिंग की जायेगी जिससे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की सघन मॉनिटरिंग की जा सके।

(1.9) खण्ड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बच्चे माइक्रोप्लान के अनुसार आर0बी0एस0के0 की नियत तिथि को उपस्थित रहें जिससे आर0बी0एस0के0 की टीम द्वारा अधिक से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की जा सके तथा रिफरल बच्चे उपचार के लिए अस्पताल में उपस्थित हो सकें।

(1.10) जनपदों में दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग/चिन्हीकरण प्रक्रिया में डिस्ट्रिक्ट डिसएबिलिटी रिहेबिलीटेसन सेण्टर (डी0डी0आर0सी0) व कम्पोजिट रीजनल सेण्टर (सी0आर0सी0) का भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा। स्क्रीनिंग/चिन्हीकरण के उपरान्त डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल (डी0ई0आई0सी0) व मेडिकल एसेसमेण्ट केम्प के द्वारा दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- <u>आउट ऑफ स्कूल दिव्यांग बच्चों (सी0डब्ल्यू0एस0एन0) के चिन्हांकन,पंजीकरण एवं नामांकन हेतु सर्वेक्षण:</u>

(2.1) शासनादेश संख्या-37/68-5-2019 दिनांक-24 जनबरी 2019 के द्वारा शारदा(SHARDA-स्कूल हर दिन आयें) कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन के साथ ही दिव्यांग बच्चों (सी0डब्ल्यू0एस0एन0) का भी हाउस होल्ड सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हांकन किया जायेगा। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 3 के पैरा 4 में प्राविधानित दिव्यांगतावार चेकलिस्ट में संशोधन किया गया है। आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट को **शारदा** वेबपोर्टल में इन्टीग्रेट किया जायेगा।

(2.2) 6-14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल दिव्यांग बच्चों का चिन्हीकरण विद्यालय के प्रधानाध्यापकों/ अध्यापकों/ शिक्षा मित्रों/ अनुदेशकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वेक्षण के माध्यम से दो चरणों में किया जायेगा-

- **प्रथम चरण** में चिन्हांकन एवं नामांकन कार्य दिनांक 01 फरवरी से 30 मार्च 2020 तक की अवधि में किया जायेगा।
- **द्वितीय चरण** में चिन्हांकन एवं नामांकन कार्य दिनांक 21 मई से 30 जून 2020 की अवधि में किया जायेगा।

(2.3) आइडेंटिफाईड दिव्यांग बच्चों की डाटा इंट्री **शारदा** वेबपोर्टल में करने का उत्तरदायित्व जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) व जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) का होगा।

3- <u>दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण/यन्त्र उपलब्ध कराना:</u>

(3.1) दिव्यांग बच्चों के विदयालय में पहुँच व ठहराव में वृद्धि के लिए बच्चों को सहायक उपकरण/यन्त्र यथा- मोबिलिटी केन, डेजीप्लेयर, ब्रेल किट, स्मार्ट केन, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, क्रचेज, कैलीपर्स, रोलेटर, सी0पी0 चेयर,मल्टी सेन्सरी इन्टीग्रेटेड एजुकेशन किट एवं हियरिंग एड आदि उपलब्ध कराये जायेंगे।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(3.2) दिव्यांग बच्चों को प्रतिवर्ष सहायक उपकरण/यन्त्र उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा मेजरमेण्ट व डिस्ट्रीब्यशन कैम्प्स आयोजन का माइक्रो प्लान तैयार किया जायेगा। जनपद/ब्लाक स्तर पर मेजरमेण्ट व डिस्ट्रीब्यशन कैम्प्स निम्नवत आयोजित किये जायेगे-

(3.2.1)मेजरमेण्ट कैम्प्स में आवश्यकतानुसार पात्र दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण/यन्त्र उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रोफेशनल्स द्वारा दिव्यांगता का मेजरमेण्ट/एसेसमेण्ट कर चिन्हित किया जायेगा। मेजरमेण्ट कैंप दिनांक 15 जुलाई से दिनांक 30 अगस्त तक आयोजित किए जायेंगे।

(3.2.2)डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प्स में चिन्हित दिव्यांग बच्चों को प्रोफेशनल्स द्वारा सहायक उपकरण/यन्त्र फिट/ उपलब्ध कराये जायेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प्स दिनांक 30 सितम्बर से दिनांक 15 नवम्बर तक आयोजित किए जायेंगे।

(3.3) भारत सरकार की एडिप योजना के अन्तर्गत बच्चों को सहायक उपकरण/यन्त्र एलिम्को, कम्पोजिट रीजनल सेण्टर व डिस्ट्रिक्ट डिसएबिलिटी रिहेबिलीटेसन सेण्टर द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा आवश्यकतानुसार वाक्-श्रवण दिव्यांग विद्यार्थियों को सरकार के एम्पेनल्ड संस्थाओं से रेट कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत इयरमोल्ड सहित हियरिंग एड फिट किऐ जायेंगे। पंजीकृत प्रोफेशनल्स द्वारा आडियोमेट्री कर बच्चों को हियरिंग एड फिट किऐ जायेंगे।

4- **<u>दिव्यांग बच्चों को पुस्तकें, लर्निंग मेटेरियल्स व अन्य सामग्री उपलब्ध कराना:</u>**

(4.1) पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रेल पाठ्य पुस्तकें तथा अल्प दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए एन्लार्ज प्रिन्ट पाठ्य पुस्तकें प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने पर यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेंगी।

(4.2) विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के लिए बजट की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार स्पेशल टी0एल0एम0 व अन्य सम्बन्धित सामग्री जैसे कि पाकेट फ्रेम, स्टाइलस, अबेकस, लूडो, अन्य मॉडल्स, ब्रेल पेपर, टाइप्स, स्पर्शीय ग्लोब, स्पर्शीय मानचित्र, रीडिंग स्टैण्ड, राइटिंग गाइड, हैण्ड हेड व शीट मैग्नीफायर आदि प्रतिवर्ष अगस्त माह तक उपलब्ध कराये जायेंगे।

5- **<u>परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन कराना:</u>**

(5.1) शासनादेश संख्या- 813/68-5-2019 दिनांक 11 सितम्बर 2019 के आधार पर अन्य विद्यार्थियों के साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम्स के आकलन हेतु विषयवार उपलब्धि स्तर ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन/ परीक्षायें आयोजित की जायेगी। कम उपलब्धि स्तर वाले दिव्यांग बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग आयोजित करायी जायेगी।

(5.2) दिव्यांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के किए पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन किये जायेंगे।

(5.3) निदेशक, बेसिक शिक्षा/ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा में दिव्याँगता आधारित परिवर्तन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे जिसमें अधिगम दिव्याँग बच्चों के लिए मौखिक परीक्षा, पूर्ण दृष्टि दिव्याँग बच्चों हेतु राइटर की सुविधा एवं अन्य दिव्याँग बच्चों के लिए परीक्षा में अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5.4) दिव्यांग विद्यार्थियों को दूसरी व तीसरी भाषा पाठ्यक्रम में छूट प्रदान की जायेगी।

6- **<u>पाठ्यक्रम अनुकूलन:</u>**

(6.1) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0) द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय के सहयोग से कक्षावार पाठ्यक्रम व टीचिंग लर्निंग को दिव्यांग बच्चों के अनुकूल बनाया जायेगा।

(6.2) प्रचलित पाठ्य पुस्तकों को एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा बौद्धिक दिव्यांग व मानसिक रुग्ण बच्चों हेतु वर्ष 2019-20 तक विकसित किया जायेगा।

(6.3) प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन वर्ष 2020-21 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन वर्ष 2021-22 तक किया जायेगा।

7- **<u>समेकित शिक्षा के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों का अभिलेखीकरण(डाक्यूमेण्टेशन):</u>**

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत संचालित सभी गतिविधियों / कार्यक्रमों का डाक्यूमेण्टेसन तैयार किया जायेगा। इसके अन्तर्गत स्पेशल एजुकेटर्स/ फ़िज़ियोथैरेपिस्ट द्वारा दिव्यांग बच्चों को दिये जा रहे शैक्षिक सपोर्ट व अन्य सभी गतिविधियों का डाटा बेस तैयार किया जायेगा।बच्चों की मेनस्ट्रीमिंग में नवीन अभिनव प्रयास व अन्य सामग्री आदि को सम्मिलित करते हुए अभिलेखीकरण के साथ ही वीडियो डाक्यूमेन्ट्री भी तैयार की जायेगी।

8- **<u>विद्यालयों में बाधारहित भौतिक वातावरण सृजित करना:</u>**

(8.1) भारत सरकार व यूनीसेफ द्वारा विकसित गाइडलाइन **"मेकिंग स्कूल एक्सेसबल टू चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज"** के आधार पर परिषदीय विद्यालयों में बाधारहित भौतिक सुविधाओं को चाइल्ड

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

फ्रेण्डली विकसित किया जायेगा अर्थात विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं यथा- रैम्प,सीढी,साइनेज,दरवाजे,ग्रीनबोर्ड,फर्श,खिडकी,पेयजल सुविधा, शौचालय एवं यूरिनल आदि में सुधार व मरम्मत कार्य किया जायेगा।

(8.2) विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं/ इण्डीकेटर्स का नोडल टीचर व स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा एक्सिसबिलिटी आडिट किया जायेगा। यूनीसेफ द्वारा माह मई 2020 में एक्सिसबिलिटी आडिट का दो दिवसीय राज्य स्तरीय टी0ओ0टी0 कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक जनपद से 02 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा जनपद स्तर पर माह अगस्त/सितम्बर, 2020 में प्रति ब्लाक 02 नोडल टीचर/ स्पेशल एजुकेटर्स को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(8.3) जनपद स्तर पर प्रशिक्षित 02 नोडल टीचर/ स्पेशल एजुकेटर्स के द्वारा बी0आर0सी0 स्तर पर प्रत्येक न्याय पंचायत से दो विद्यालयों के अध्यापकों को स्कूल एक्सिसबिलिटी आडिट के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जायेगा।

(8.4) जनपद/ ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षित 02 नोडल टीचर/ स्पेशल एजुकेटर्स के द्वारा माह अक्टूबर, 2020 में प्रत्येक न्याय पंचायत में एक प्राथमिक एवं एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक्सिसबिलिटी आडिट किया जायेगा।

(8.5) एक्सिसबिलिटी आडिट रिपोर्ट्स के आधार पर विद्यालय की भौतिक सुविधाओं में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट्स जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भौतिक सुविधाओं की मरम्मत व सुधार कार्य के लिए धनराशि का प्राविधान ग्राम पंचायत डेवलपमेण्ट प्लान(जी0पी0डी0पी0) में कराकर सुगम्य विद्यालय विकसित कराये जायेंगे।

(8.6) वर्ष 2021-22 में 25 प्रतिशत तथा वर्ष 2023-24 तक 75 प्रतिशत ऐसे परिषदीय विद्यालयों को सुगम्य विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा जिनमें दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं।

9- **<u>स्पेशल एजुकेटर्स का चयनः</u>**

(9.1) दिव्यांग बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु कार्यरत इटीनरेन्ट व रिसोर्स टीचर को स्पेशल एजुकेटर के नाम से जाना जायेगा।

(9.2) कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स को प्रतिवर्ष रेशनलाइज कर आवश्यकता के आधार पर स्पेशल एजुकेटर्स की संविदानुसार नियुक्ति प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड से अनुमोदन उपरान्त की जायेगी। वर्ष 2019-20 में प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा अनुमोदित 287 स्पेशल एजुकेटर्स की संविदानुसार नियुक्ति माह मार्च 2020 से पूर्व कर ली जायेगी।

10- **<u>अध्यापक व स्पेशल एजुकेटर की क्षमता संवर्द्धन /प्रशिक्षणः</u>**

(10.1 दिव्यांग बच्चों के शिक्षण एवं प्रबन्धन में सामान्य शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन के लिए 03 दिवसीय राज्य स्तर पर टी0ओ0टी0 कार्यक्रम एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से जुलाई माह में आयोजित किया जायेगा। प्रति जनपद 01-01 स्पेशल एजुकेटर को ब्रेल पठन-लेखन, साइन लेग्वेज व बौद्धिक दिव्यांगता आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(10.2) राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा ब्रेल पठन-लेखन, साइन लेग्वेज व बौद्धिक दिव्यांगता में विकसित ट्रेनिंग माड्यूल का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा किया जायेगा।

(10.3) ब्रेल पठन-लेखन, साइन लेग्वेज व बौद्धिक दिव्यांगता आदि से सम्बन्धित 03 दिवसीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन डायट/ बी0आर0सी0 स्तर पर सितम्बर माह में किया जायेगा जिसमे प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(10.4) बच्चों को समावेशी शिक्षण-प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित प्रतिवर्ष स्पेशल एजुकेटर्स को आवश्यकता आधारित उन्मुखीकरण प्रशिक्षण अथवा कन्टीन्यू रिहैबिलिटेशन एजुकेशन (सी0आर0ई0) प्रदान की जायेगी।

11- **<u>शिक्षण एवं प्रबन्धन में सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोगः</u>**

(11.1) समग्र शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में उपलब्ध प्रबंधन लागत(Management Cost) में उपलब्ध धनराशि से समस्त स्पेशल एजुकेटर्स एवं फिजियोथेरेपिस्ट को एंड्राइड फोन उपलब्ध कराये जायेंगे। दिव्यांग बच्चों के विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग व तकनीकी सपोर्ट के लिए **समर्थ** एप्लीकेशन/ साफ्टवेयर विकसित किया जायेगा।

(11.2) **समर्थ** एप का उपयोग स्पेशल एजुकेटर्स एवं फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा किया जायेगा तथा इसे शारदा वेबपोर्टल व **आर0बी0एस0के0एप** से लिंक किया जायेगा।

(11.3) स्कूल नोडल टीचर व स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा **दीक्षा एप** व अन्य ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल का उपयोग करते हुए दृष्टि दिव्यांग, वाक् श्रवण दिव्यांग व बौद्धिक दिव्यांग आदि बच्चों को भाषा, गणित व विज्ञान आदि सुगमता से सिखाया जायेगा।

12- **<u>रिसोर्स सेण्टर विकासः</u>**

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(12.1) ब्लॉक/ नगर संसाधन केंद्र परिसर में चरणवद्ध ढंग से रिसोर्स सेण्टर विकसित किए जाएंगे। रिसोर्स सेण्टर में स्पेशल एजुकेटर्स व फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बच्चों को क्रमशः एकेडमिक व थेरेप्यूटिक सपोर्ट देने के साथ ही दिव्यांग बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों की पेरेन्ट काउन्सलिंग की जायेगी।

(12.2) जिन क्षेत्रों में स्पेशल एजुकेटर की पहुँच नही है ऐसे क्षेत्रों के बच्चे रिसोर्स सेण्टर पर आयेंगे। रिसोर्स सेण्टर के नियमित संचालन का उत्तरदायित्व संयुक्त रूप से खण्ड शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) का होगा।

(12.3) रिसोर्स सेण्टर में विशेष उपकरण जैसे ब्रेल किट, ऑडियोमीटर, स्पीचट्रेनर,मल्टी सेंसरी एजुकेशन किट, साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर व स्पेशल टी0एल0एम0 आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

13- **<u>विशेष शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0) किटः</u>**

दिव्यांग बच्चों में उपयुक्त संप्रेषण के तरीकों को बढ़ाने हेतु बच्चों की आवश्यकता व रूचि के अनुरूप सरल, स्पष्ट, सुगम तथा पाठ्यक्रम आधारित विशेष शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0) तैयार किया जायेगा। विद्यालय भ्रमण के समय स्पेशल एजुकेटर के पास टी0एल0एम0 किट होना अनिवार्य होगा तथा कक्षा-कक्ष शिक्षण में इसका अधिकतम प्रयोग किया जायेगा। स्पेशल एजुकेटर्स को प्रतिवर्ष टी0एल0एम0 किट तैयार करने के लिए धनराशि अगस्त माह में उपलब्ध करायी जायेगी।

14- **<u>समेकित सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजनः</u>**

(14.1) दिव्यांग बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक एवं संप्रेषण विकास हेतु प्रतिवर्ष माह नवम्बर में ब्लाक स्तरीय समेकित खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जायेगा।

(14.2) प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तीकरण दिवस दिनांक 03 दिसम्बर के अवसर पर जनपद मुख्यालय पर वृहद समेकित खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

15- **<u>दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए मेनस्ट्रीमिंग प्लानः</u>**

समेकित शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय स्तर पर एक अध्यापक को नोडल टीचर नामित किया जायेगा।

(15.1) **<u>वैयक्तिक शैक्षणिक योजना (आई0ई0पी0):</u>**

(15.1.1) बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को बढाने हेतु उनकी कौशल आधारित आवश्यकताओं(Skills Based Needs) को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक व थेरेप्यूटिक दक्षताओं का स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा एसेसमेंट किया जायेगा तथा बच्चों की वैयक्तिक शैक्षणिक योजना (आई0ई0पी0) तैयार की जायेगी।

(15.1.2) स्पेशल एजुकेटर्स व स्कूल नोडल टीचर साथ मिलकर बच्चों की आई0ई0पी0 तैयार कर बच्चों के शिक्षण -प्रशिक्षण में दीर्घ अवधि व लघु अवधि लक्ष्यों को प्राप्त किया जायेगा।

(14.1.3) प्रतिवर्ष बच्चे के नामांकन से एक माह के अंतर्गत आई0ई0पी0 तैयार की जायेगी तथा आई0ई0पी0 का अभिलेख विद्यालय में रखा जायेगा,जिसका उत्तरदायित्व नोडल टीचर का होगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु माडल आई0ई0पी0 का प्रारूप संलग्न है(**संलग्नक-3**)।

(15.2) **<u>बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन उपलब्ध करानाः</u>**

(15.2.1) आउट आफ स्कूल दिव्यांग बच्चों के सर्वेक्षण में चिन्हित ऐसे दिव्यांग बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन प्रदान की जायेगी जो गंभीर/बहु-दिव्यांगता से प्रभावित होने के कारण विद्यालय नहीं आ सकते है, ऐसे बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए स्पेशल एजुकेटर्स के द्वारा गृह भ्रमण किया जायेगा। स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा होम बेस्ड एजुकेशन प्रदान किये जाने वाले बच्चों को अपनी यूनिट में सम्मिलित किया जायेगा।

(15.2.2) यूनीसेफ व अन्य पुनर्वास/राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से माह जुलाई 2020 से पूर्व होम बेस्ड एजुकेशन से सम्बंधित ट्रेनिंग माइयूल विकसित किया जायेगा। ट्रेनिंग माइयूल के आधार पर स्पेशल एजुकेटर्स का 03 दिवसीय प्रशिक्षण माह नवम्बर 2020 में आयोजित किया जायेगा।

(15.2.3) जनपदों में स्थापित डिस्ट्रिक्ट डिसएबिलिटी रिहेबिलीटेसन सेण्टर्स (डी0डी0आर0सी0) के कर्मियों द्वारा बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन, फिजियोथेरेपी, आक्यूपेशनल थेरेपी व स्पीच थेरेपी आदि सेवाऐं प्रदान की जायेंगी।

(15.3) **<u>आवासीय एक्सीलरेटड लर्निंग कैम्प का संचालनः</u>**

(15.3.1) जनपद स्तर पर 08 माह अवधि के आवासीय एक्सीलरेटड लर्निंग कैम्प का संचालन किया जायेगा जिसमें 40 वाक् श्रवण दिव्यांग तथा 20 दृष्टि दिव्यांग बच्चों का नामांकन कराया जायेगा।

(15.3.2) लर्निंग कैम्प में बच्चों के प्री-इन्टीग्रेशन स्किल्स को विकसित कर उन्हें विद्यालयों में समावेशन के लिए तैयार किया जायेगा। बच्चों के लिए 03 माह अवधि का संक्षिप्त ब्रिज कोर्स

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

संचालित किया जायेगा, तदोपरान्त 05 माह तक कक्षानुसार पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षित किया जायेगा।

(15.3.3) लर्निंग कैम्प में कार्य करने वाले वार्डन, स्पेशल एजुकेटर्स व केयर टेकर की संविदानुसार 08 माह की अवधि के लिए नियुक्ति की जायेगी।

(15.4) गंभीर रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को एस्कार्ट एलाउन्स उपलब्ध कराना:

(15.4.1) परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत गंभीर रूप से पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी एवं जापानी इंसेफलाइटिस सिण्ड्रोम /एक्यूट इंसेफलाइटिस सिण्ड्रोम(जे0ई0एस0 / ए0ई0एस0) श्रेणी के ऐसे बच्चे जो अपने घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक अकेले (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुंच पाने में असमर्थ हैं उन्हें एस्कार्ट एलाउन्स उपलब्ध कराया जायेगा।

(15.4.2) दिव्यांग विद्यार्थी की त्रैमासिक औसत उपस्थिति 70 प्रतिशत एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

(15.4.3)दिव्यांग विद्यार्थियों को रू0 500/- प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह तक की अवधि हेतु एस्कार्ट एलाउन्स उनके बचत बैंक खाता में डी0बी0टी0 प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

✳ **(15.5) दिव्यांग बालिकाओं को स्टाइपेण्ड उपलब्ध कराना:**

(15.5.1)परिषदीय विदयालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बालिकाओं की उपस्थिति व सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने तथा उन्हें सशक्त बनाये जाने हेतु स्टाइपेण्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

(15.5.2)दिव्यांग बालिका की त्रैमासिक औसत उपस्थिति 70 प्रतिशत एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

(15.5.3)दिव्यांग बालिका को रू0 200/- प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह की अवधि हेतु स्टाइपेण्ड उनके बचत बैंक खाता में डी0बी0टी0 प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया 6-14 वर्ष के समस्त दिव्यांग बच्चों (सी0डब्ल्यू0एस0एन0) को गुणवत्तापरक समावेशी शिक्षा की व्यवस्था हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उक्तवत

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव,दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।
3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मिशन निदेशक, नेशनल हेल्थ मिशन, विधानसभा मार्ग लखनऊ।
5- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
6- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- मण्डलायुक्त,समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश।
8- मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
9- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
10- एजुकेशन स्पेशलिस्ट,यूनीसेफ आफिस उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश।
12- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
13- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
14- आफीसर इंचार्ज, कम्पोजिट रीजनल सेण्टर (सी0आर0सी0), लखनऊ व गोरखपुर।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक -1

बच्चे की दक्षता, क्रियाशीलता व कार्य कुशलता से संबंधित बाधाओं (बैरियर्स) की जाँच हेतु चेकलिस्ट

बच्चे का नाम: **पिता का नाम:** **आयु/लिंग :**

मजरा/गाँव/मोहल्ला का नाम: **ब्लाक नाम:** **जनपद नाम:**

चेकलिस्ट भरने के निर्देश:

1) बच्चों के सर्वेक्षण में सर्वेक्षणकर्ता द्वारा बच्चे के माता/पिता या अभिभावक से बच्चे की दक्षता,क्रियाशीलता व कार्य कुशलता से संबंधित बाधाओं (बैरियर्स)के बारे में जानकारी एकत्र की जायेगी|
2) बच्चे की दक्षता,क्रियाशीलता व कार्य कुशलता से संबंधित बाधा संबंधित प्रश्न क्रमांक के विकल्प की क्रम संख्या जैसे 1, 2, 3 एवं 4 में से किसी एक पर टिक किया जायेगा|
3) बच्चे के लिए एक से अधिक प्रश्न क्रमांक के बारे में जानकारी एकत्र की जायेगी|

प्रश्न क्रमांक	विवरण	विकल्प /उत्तर (टिक करें)
1	क्या बच्चा चश्मा पहनता है?	1- हाँ ☐ 2- नहीं ☐
2	बच्चा चश्मा पहनता है तब भी क्या उसे देखने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल नहीं देख सकता है ☐
3	बच्चा चश्मा नहीं पहनता है तब क्या उसे देखने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल नहीं देख सकता है ☐
4	बच्चा श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) का उपयोग करता है?	1- हाँ ☐ 2- नहीं ☐
5	बच्चा कान में श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) लगाता है तब क्या उसे लोगों की आवाज़ या संगीत सुननें में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल नहीं सुन सकता है ☐
6	बच्चा कान में श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) नहीं लगाता है तब क्या उसे लोगों की आवाज़ या संगीत सुननें में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल नहीं सुन सकता है ☐
7	बच्चे को चलने-फिरने के लिए किसी सहायक उपकरण/ यंत्र या किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है?	1- हाँ ☐ 2- नहीं ☐
8	क्या बच्चे को सहायक उपकरण/यंत्र के उपयोग या किसी व्यक्ति की सहायता से चलने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल नहीं चल सकता है ☐
9	क्या बच्चे को बिना सहायक उपकरण/यंत्र के उपयोग या बिना किसी व्यक्ति की सहायता के लगभग 500 मीटर की दूरी चलने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल नहीं चल सकता है ☐
10	बच्चे को उसकी उम्र के समान अन्य बच्चों से तुलना करने पर क्या उसे लगभग 100 मीटर तक चलने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल नहीं चल सकता है ☐
11	बच्चे को उसकी उम्र के समान अन्य बच्चों से तुलना करने पर क्या उसे लगभग 500 मीटर तक चलने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल नहीं चल सकता है ☐
12	जब बच्चा बातचीत करता है,तो क्या उसकी बातचीत को घर के लोगों के द्वारा समझने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल नहीं समझ सकता है ☐
13	जब बच्चा बातचीत करता है,तो क्या उसकी बातचीत को घर से बाहर के लोगों द्वारा समझने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल नहीं समझ सकता है ☐
14	बच्चे की उम्र के समान अन्य बच्चों से तुलना करने पर क्या बच्चा को बस्तुओं के बारे में सीखने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल नहीं सीख सकता है ☐

Scanned with CamScanner

15	बच्चे की उम्र के समान अन्य बच्चों से तुलना करने पर क्या उसे बस्तुओं को याद रखने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल याद नहीं रख सकता है ☐
16	बच्चे को स्वयं की देखभाल करने जैसे कि खाना खाने में व कपड़े पहनने में कठिनाई होती?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल देखभाल नहीं कर सकता है ☐
17	बच्चे को जो गतिविधि अच्छी लगती उस पर बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकता है ☐
18	बच्चे की उम्र के समान अन्य बच्चों से तुलना करने पर क्या उसे अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकता है ☐
19	बच्चे को अपने दोस्त बनाने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल दोस्त नहीं बना सकता है ☐
20	बच्चे की दिनचर्या में अचानक बदलाव होने से क्या बच्चे द्वारा उसे एडजस्ट करने में कठिनाई होती है?	1- कोई कठिनाई नहीं ☐ 2- कुछ कठिनाई ☐ 3- बहुत कठिनाई ☐ 4- बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता ☐
21	बच्चा प्रायः कब बहुत परेशान या चिंतित लगता है?	1- प्रतिदिन ☐ 2- साप्ताह में एक-दो बार ☐ 3- वर्ष में कई बार ☐ 4- कभी नहीं ☐
22	बच्चा प्रायः कब बहुत दुखी या उदास लगता है?	1- प्रतिदिन ☐ 2- साप्ताह में एक-दो बार ☐ 3- वर्ष में कई बार ☐ 4- कभी नहीं ☐

सर्वेक्षणकर्ता का नाम: **पद नाम:** **मोबाइल/फोन नं0:**

हस्ताक्षर व तिथि:

Scanned with CamScanner

संलग्नक-2

प्रमेकित शिक्षा: स्पेशल एजुकेटर/फ़िज़ियोथेरेपिस्ट/अध्यापकों द्वारा दिव्यांग बच्चों के आइडेंटिफिकेशन के लिए चेकलिस्ट

बच्चे का नाम: कक्षा: आयु : लिंग : पिता का नाम:

विद्यालय का नाम: गाँव/मोहल्ला/बस्ती का नाम: ब्लाक/ जनपद:

सं0	दिव्यांगता का विवरण	हाँ=1 नहीं=0
1	**लोकोमोटर दिव्यांगता (Locomotor Disability)**	
1.1	क्या बच्चे को चलने में कठिनाई होती है अथवा चलने में या सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता होती है?	
1.2	क्या बच्चे को अपने शरीर के किसी अंग अथवा हाथों का उपयोग करने या घुमाने में जैसे कि लिखने व खाना खाने में कठिनाई होती है?	
1.3	क्या बच्चे में किसी प्रकार की विकृति दिखाई दे रही है जैसे कि हाथ, बाजु, पैर, रीढ़ व पीठ में कमी है?	
1.4	क्या बच्चे के हाथ /पैर जन्म से नहीं है या किसी घटना से कट गये है?	
2	**कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति(Leprosy Cured Person)**	
2.1	क्या बच्चे की मांसपेशियां कमजोर है या नियमित रूप से मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है?	
2.2	क्या बच्चा पहले कुष्ठ रोग से ग्रसित था और अब ठीक हो गया है?	
2.3	क्या बच्चे की त्वचा या शरीर के किसी हिस्से पर फीके दाग धब्बे हैं?	
2.4	क्या बच्चे की हाथ या पैर की उंगलियां नहीं हैं?	
3	**प्रमस्तिष्कीय पश्चाघात(Cerebral Palsy)**	
3.1	क्या बच्चा के शरीर का समन्वय और संतुलन कमजोर है?	
3.2	क्या बच्चे के अंगों में कठोरता या निष्क्रियता है या अंगों में झटकेदार चलन है या बच्चा अनैच्छिक (अनियंत्रित) रूप से चलता है?	
3.3	क्या बच्चे को स्वयं सहायता कौशलों जैसे टॉयलेटिंग, हाथ धोने, खाना खाने, वस्तुओं को पकड़ने/रखने या पेपर काटने/ चिपकाने में समस्या होती हैं?	
3.4	क्या बच्चे की आवाज़ स्पष्ट नहीं है या लार बहाता रहता है ?	
4	**बौनापन(Dwarfism)**	
4.1	क्या बच्चा अपनी उम्र की तुलना में लम्बाई में काफ़ी अधिक छोटा है?	
4.2	क्या बच्चे का सिर अनुपातिक रूप से बड़ा है, पैर झुके हुए हैं या हाथ की उंगलियां व गर्दन छोटी है?	
4.3	क्या बच्चे की छाती चौड़ी व गोल है?	
4.4	क्या बच्चे की गर्दन छोटी है?	
5	**बहुदुष्पोषण(Muscular Dystrophy)**	
5.1	क्या बच्चा अक्सर चलते समय गिर पड़ता है एवं लेटे हुए या बैठे हुए होने पर उठने में परेशानी होती है?	
5.2	क्या बच्चा चलते समय छोटे-छोटे कदम रखते एवं शरीर को घुमाते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ चलता है?	
5.3	क्या बच्चे की मांसपेशियों में दर्द और जकड़न की शिकायत रहती है ?	

Scanned with CamScanner

5.4	क्या बच्चा अपने पैर की उंगलियों के सहारे चलता है?	
6	**अम्ल आक्रमण पीड़ित(Acid Attack Victim)**	
6.1	क्या बच्चा एसिड हमले से उत्तरजीवी(एसिड अटेक के बाद जीवन-यापन कर रहा है) है?	
6.2	क्या बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगो में गंभीर जले के निशान हैं और शरीर विकृति से भी ग्रसित है।	
6.3	क्या बच्चे के ऊपर एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से शरीर कुरुपित (डरावना) लगता है?	
7	**अन्धता(Blindness)**	
7.1	क्या बच्चा अपनी दोनों आँखों का उपयोग करके कुछ भी नहीं देख सकता है?	
7.2	क्या बच्चे की दोनों आँखें एक जैसी नहीं हैं, या आखों में भेंगापन हैं?	
7.3	क्या बच्चा हरे-नीले या लाल-हरे रंगों के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं है?	
7.4	क्या बच्चे को धुंधला दिखाई देता है या स्पष्ट दिखाई नहीं देता है?	
8	**अल्प द्रष्टिदोष(Low Vision)**	
8.1	क्या बच्चे को धीमी रोशनी की स्थिति में देखने में कठिनाई होती है अथवा बच्चा रोशनी/ प्रकाश के स्रोत की ओर जाने में आसानी महसूस करता है?	
8.2	क्या बच्चा बार-बार अपनी आँखों को झपकाता है, रगड़ता है, आँखों में जलन महसूस करता है, या प्रायः सिरदर्द के बारे में बताता है?	
8.3	क्या बच्चा पढ़ते समय पुस्तक को बहुत दूर या बहुत पास रखता है?	
8.4	क्या बच्चा पढ़ते समय आँखों को बंद करता है, ढकता है अथवा पास की बस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करता है ?	
9	**वाक् श्रवण दिव्यांगता(Hearing Impairment)**	
9.1	क्या बच्चा संबोधन करने या बुलाने पर जवाब नहीं देता है?	
9.2	क्या बच्चा अपने कान को वक्ता की दिशा की ओर मोड़ता है या बातचीत के दौरान जानबूझकर वक्ता के चेहरे को देखता है?	
9.3	क्या बच्चा बोलते समय असामान्य रूप से तेज स्वर का प्रयोग करता है या अक्सर शब्द बोलने में भूलता है?	
9.4	क्या बच्चे को वातावरण की ध्वनियों को सुनने में मुश्किल होती है, जैसे कि स्कूल की घंटी, लोगों के बुलाने की आवाज़ अथवा उसे शोरगुल से हैरानी होती हैं?	
10	**वाक् भाषा दिव्यांगता(Speech & Language Disability)**	
10.1	क्या बच्चा शब्दों या शब्दों के हिस्सों को दोहराता है या संक्षिप्त, खंडित वाक्यांशों को बोलता है?	
10.2	क्या बच्चा बोलते समय हकलाता या तुतलाता है या स्पष्ट नहीं बोलता है?	
10.3	क्या बच्चा को वाक् ध्वनियों की नकल करने में कठिनाई होती है? उदाहरण के लिए जब बच्चे को "चम्मच" बोलने के लिए कहा जाता है तो वह "तम्मच"बोलता है?	
10.4	क्या बच्चा वाक्य को गलत क्रम में बोलता हैं? उदाहरण के लिए " आकाश नीला है" के स्थान पर "नीला आकाश है"	
11	**बौद्धिक दिव्यांगता(Intellectual Disability)**	
11.1	क्या बच्चे को दूसरों के साथ संवाद करने या सामाजीकरण में कठिनाई होती है?	
11.2	क्या बच्चा अध्यापक द्वारा दिये गये निर्देशों / अनुदेशों या क्लास वर्क या होम वर्क को नहीं कर पता है या बिना किसी की सहायता के शौचालय का उपयोग नहीं कर पता है?	

Scanned with CamScanner

11.3	क्या बच्चा अक्सर बिना अनुमति के कक्षा से बाहर चला जाता है, अपनी बारी के बिना बोलता है और कक्षा में व्यवधान डालता रहता है?	
11.4	क्या बच्चे द्वारा अध्यापक से सफलतापूर्वक सीखी गई चीज़ों के बारे में बताने या करने में उसे कठिनाई होती है? जैसे कि वह कॉपी में जोड़ कर लेता है, लेकिन यह बताने में असमर्थ है कि 5 केले और 3 आम मिलाकर कुल कितने फल होते हैं?"	
12	**विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता(Specific Learning Disability)**	
12.1	क्या बच्चे का पर्याप्त अभ्यास व प्रयास के बाद भी हस्तलेखन खराब है? जिसके कारण उसकी लेखनी को आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है ?	
12.2	क्या बच्चे को अध्यापक द्वारा कई बार पढ़ाने के बाद भी पहले से सीखे हुए शब्दों, विराम, चिह्न, वर्तनी या व्याकरण के प्रयोग में उसे कठिनाई होती है?	
12.3	क्या बच्चा को दिशा बोध (बाएं-दाएं, ऊपर-नीचे या आगे-पीछे) नहीं है?	
12.4	क्या बच्चा लिखते समय संख्याओं, प्रतीकों, अक्षरों या शब्दों को अक्सर उल्टा लिखता है, जैसे कि **66** के स्थान पर **99** या **M** के स्थान पर **W** आदि लिखता है?	
12.5	क्या बच्चे को गणितीय प्रतीकों जैसे +, -, x व ÷ को समझने में कठिनाई होती है?	
13	**स्वलीनता(Autism Spectrum Disorder)**	
13.1	क्या बच्चा अपनी आवाज में गुंजन (इको) करता है या शब्दों व वाक्यों को दोहराता है? जैसे कि यह पूछे जाने पर कि, **आपका नाम क्या है?** तो वह अपना नाम बताने के बजाय दोहराता है कि,आपका नाम क्या है?	
13.2	क्या बच्चे को सहकर्मी, समूह में, सहपाठियों के साथ बातचीत करने में एवं खेलने में कठिनाई होती है?	
13.3	क्या विद्यालय में बच्चे की दिनचर्या में अचानक बदलाव (जैसे कि कक्षा कक्षा, शिक्षक, समय सारिणी व बैठक व्यवस्था में परिवर्तन) कर देने से बच्चे को मुश्किल होती है?	
13.4	क्या बच्चा प्रायः हाथ फड़फड़ाना, सिर हिलाना, उंगली और शरीर हिलाना आदि क्रियाएं करता है?	
13.5	क्या बच्चा गिनती पढ़ने में सक्षम है? जैसे 1से100 तक गिनती गिन लेता है परन्तु मांगने पर दो पेंसिल या तीन पेन नहीं दे सकता है?	
13.6	जब अध्यापक कक्षा में सभी बच्चों को कहानी सुनाता है तो बच्चा कहानी सुनने में दिलचस्पी नहीं लेता है? जबकि अन्य सभी बच्चे कहानी को उत्सुकता से सुनते हैं।	
14	**मानसिक रुग्णता(Mental Illness)**	
14.1	क्या बच्चा प्रायः उदास दिखाई देता है, गंभीर मिज़ाज में रहता है या उसे ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है?	
14.2	क्या बच्चा अधिकांशतः सिरदर्द और पेटदर्द की शिकायत करता है?	
14.3	क्या बच्चे में अक्सर आत्मघाती विचार आते हैं या स्वयं को नुकशान पहुँचाने वाली गतिविधियों में लिप्त रहता है? जैसे कि स्वयं के शरीर में काटना या शरीर के किसी अंग को जलाना आदि।	
14.4	क्या बच्चा बिना किसी विशेष कारण के भय की तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है?	
14.5	क्या बच्चा वास्तविकता से अलग दिखाई देता है और काल्पनिक दुनियाँ में खोया रहता है जैसे कि काल्पनिक दोस्तों से बातें करना।	
15	**बहुस्क्लोरोसिस(Multiple Sclerosis)**	
15.1	क्या बच्चे में कपकपाहट होती है, जिससे मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन या शिथिलता है?	

Scanned with CamScanner

15.2	क्या बच्चा बोलने में स्पष्ट उच्चारण नहीं करता है, जैसे कि शब्दों के खराब उच्चारण, गुनगुनाना, या बात करने के दौरान गति या लय में बदलाव लाता है?	
15.3	क्या बच्चा चेहरे, हाथ, पैर और अंगुलियों में पिन और सुई की चुभन महसूस करता हैं?	
15.4	क्या बच्चा गर्दन घुमाने/हिलाने के समय इलेक्ट्रिक-शॉक लगने जैसी संवेदनाओं के बारे में अनुभूति व्यक्त करता है?	
16	**हीमोफिलिया(Haemophilia)**	
16.1	क्या बच्चे के चोट लगने/ घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है या बारबार बिना किसी कारण के असामान्य रूप से नाक व मसूड़ों से रक्त निकलता है ?	
16.2	क्या बच्चे को टीकाकरण के बाद असामान्य मात्रा में रक्तस्राव होता है?	
16.3	क्या बच्चा पीड़ादायक और लंबे समय तक सिरदर्द होने के बारे में बताता है?	
16.4	क्या बच्चा बहुत सुस्त दिखाई देता है?	
17	**थेल्सीमिया(Thalassemia)**	
17.1	क्या बच्चा प्रायः रक्त आधान(खून चढ़ने हेतु) के लिए अस्पताल जाता रहता है?	
17.2	क्या बच्चे के पेट, हाथ व पैर में सूजन है या उसे लगातार बुखार रहता है?	
17.3	क्या बच्चे की त्वचा फीकी या पीली है?	
17.4	क्या बच्चा असामान्य कमजोरी व थकान के बारे में बताता है?	
18	**सिकल सेल रोग(Sickle Cell Disease)**	
18.1	क्या बच्चे में अस्पष्ट रूप से गंभीर दर्द होता है?	
18.2	क्या बच्चे के पेट में अधिकांश समय सूजन रहती है?	
18.3	क्या बच्चे की त्वचा पीली है?	
18.4	क्या बच्चे को अक्सर बुखार या अन्य कोई संक्रमण रहते है?	
19	**बहुदिव्यांगता(Multiple Disability)**	
19.1	क्या बच्चे में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या संवेदी (देखने व सुनने आदि) अंगों में संयुक्त रूप से विकृति है?	
19.2	क्या बच्चा दो या दो से अधिक दिव्यांगताओं से प्रभावित हैं? जैसे कि सुनने-बोलने व देखने में कठिनाई (डेफ ब्लाइंड) एवं सुनने-बोलने व सोचने-समझने में कठिनाई(डेफ एम0आर0) आदि।	
19.3	क्या बच्चे की बुद्धि लब्धि सामान्य नहीं है व चलन फिरने में दिक्कत है? (ओर्थो-एम0आर0)	

नोट: उपरोक्त में से यदि किसी दिव्यांगता के अंतर्गत दो या दो से अधिक प्रश्नों का उत्तर **हाँ** में है तो-

(1) बच्चे को सम्बंधित दिव्यांगता की श्रेणी में चिन्हित कर **'समर्थ'** एप/ **शारदा** वेबपोर्टल में डाटा एंट्री की जायेगी।

(2) चिन्हित आउट ऑफ़ स्कूल बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराकर **'समर्थ'** एप में भी डाटा एंट्री की जायेगी।

(3) विद्यालय में नामांकित बच्चे की स्क्रीनिंग, रेफरल व उपचार आदि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा कराया जायेगा।

सर्वेक्षणकर्ता का नाम: **पदनाम:**

मोबाइल/फोन नं0: **हस्ताक्षर व तिथि:**

Scanned with CamScanner

(संलग्नक-3)

समेकित शिक्षा: वैयक्तिक शैक्षणिक योजना (Individualized Education Plan)

बालक/बालिका का नाम ----------जन्मतिथि ----------आधार क्रमांक----------

विद्यालय का नाम ---------- कक्षा----------एस0आर0नं0----------

वैयक्तिक शैक्षणिक योजना (आई0ई0पी0) तैयार करने की तिथि----------

दिव्यांगता का विवरण (Details of Disability):

1-थेरेप्युटिक एसेसमेण्ट(Therapeutic Assessment):

1.1 - बौद्धिक स्तर (Intellectual Level):

1.2 - श्रवण प्रतिपादन (Audiological Interpretations):

1.3 - वाक/वाणी स्तर (Speech Level):

1.4 - भाषा स्तर (Language Level):

1.5 - नेत्रदृष्टि स्तर (Eye Sight Level):

2-एकेडमिक एसेसमेण्ट:(Academic Assessment):

2.1 - पठन कौशल (Reading Skills):

Scanned with CamScanner

2.2 - <u>लेखन कौशल (Writing Skills):</u>

2.2 - <u>गणितीय कौशल (Arithmetic Skills)</u>:

2.3 - <u>अन्य विवरणः(Other Details):</u>

3 - <u>संस्तुतियाँ (Recommendations):</u>

4 - <u>अकादमिक व थेरेप्युटिक विकास के लिए लक्ष्य निर्धारण (Target Setting for Academic & Therapeutic Development):</u>

4.1 - <u>दीर्घ अवधि लक्ष्य (Long Term Goal):</u>

4.2 - <u>लघु अवधि लक्ष्य व समय (Short Time Goal & Time Line):</u>

दिनांक	विषय वस्तु	स्पेशल एजुकेटर / अध्यापक के द्वारा की गयी गतिविधि	प्रयोग में लाया गया टी0एल0एम0	लक्ष्य उपलब्धि की स्थिति	स्पेशल एजुकेटर/ नोडल टीचर के हस्ताक्षर

नोट-लाइन(Rows) की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकती है।

Scanned with CamScanner